राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 422/2024
उनवान : प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 65 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 सपठित आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 422/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/540

प्रार्थी :–

1. जोगाराम मीणा पुत्र उदाराम मीणा जाति मीणा निवासी माताजी गुड़ा तहसील रानी जिला पाली राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. तीजो उर्फ बबली पत्नी रामलाल
2. हिम्मत पुत्र प्रकाश
3. विनोद पुत्र प्रकाश अप्रार्थी संख्या 02 व 03 जरिये प्राकृतिक सरक्षक अप्रार्थी संख्या 01
4. राधा पत्नि महेन्द्र (पूर्व पत्नी प्रकाश) जाति भील निवासीगण मुण्डारा तहसील बाली जिला पाली राज.
5. तहसीलदार महोदय देसूरी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 65 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अमृतलाल परिहार उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 01, 02 व 03 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतसिंह राजपुरोहित उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 04 की ओर से अधिवक्ता श्री संतोष कुमार शर्मा उपस्थित।

–:निर्णयः–

दिनांकः 10.01.2025.

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 65 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश कर न्यायालय हाजा से निर्णीत राजस्व अपील संख्या 06/2022 जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/2 **तीजो वगैरा बनाम राधा वगैरा** निर्णय दिनांक 14.06.2024 की पत्रावली तलब कर अपील में पारित आदेश दिनांक 24.05.2024 एवं निर्णय दिनांक 14.06.2024 को अपास्त कर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देकर प्रार्थी के आवेदन आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. को विधि अनुसार निस्तारित किये जाने के बाद अपील को गुणावगुण पर सुने जाने बाबत् पेश किया है। प्रार्थना पत्र म्याद बाहर होने से धारा 05 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पेश किया। प्रार्थना पत्र सब्जेट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अनुसार ग्राम छोड़ा तहसील देसूरी में कृषि भूमि खसरा नम्बर 591 रकबा 01.1600 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 02 लगाय चार की खातेदारी की स्थित थी। जिस भूमि का पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 24.12.2021 के जरिये उक्त खातेदारान ने प्रार्थी के हक में बेचान हस्तान्तरण की थी उक्त पंजीबद्ध विक्रय विलेख के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1180 स्वीकृति दिनांक 10.01.2022 की कार्यवाही जरिये भू अधिकार अभिलेखों में नाम भी प्रविष्ट किया गया। तथाकथित तीजो उर्फ बबली एवं उक्त कृषि भूमि के पूर्व खातेदार हिम्मत, विनोद पुत्र प्रकाश, राधा पत्नि स्व. प्रकाश व उनके साथियो से मिलकर प्रार्थी जोगाराम की खरीदसुदा

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 422/2024
उनवान : प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 65 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 सपठित आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

कब्जाशुदा उपरोक्त भूमि की हड़पने के नापाक उद्देश्य से अपराधिक षडयंत्र रचकर तैयार की गयी योजना के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी को पक्षकार बनाये बिना तथाकथित तीजो उर्फ बबली ने स्वयं को तथाकथित रामलाल की पत्नि एवं अप्रार्थी संख्या 02 व 03 प्राकृतिक संरक्षक दादी होना एवं अप्रार्थी संख्या 04 राधा पत्नि स्व. प्रकाश की बजाय तथाकथित महेन्द्र की पत्नि होना बताकर दुरभिः सन्धि के तहत नामान्तरकरण संख्या 1176 स्वीकृति दिनांक 22.12.2021 के विरुद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) पाली के न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की जो अपील संख्या 38/2022 तीजो वगैरा बनाम राधा वगैरा रही है। उक्त अपील की जानकारी होने पर उक्त भूमि के खरीददार, रिकॉर्डेड खातेदारान एवं हितबद्ध प्रार्थी द्वारा उक्त अपील के पक्षकार बनने हेतु मय पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 21.12.2021, यूको बैंक सादडी की पासबुक, आधार कार्ड, परिवार कार्ड की फोटो प्रति सहित अन्य दस्तावेजो को सलंग्न कर दिनांक 01.12.2021 को अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. में मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। उक्त म्यूटेशन अपील संख्या 38/2022 की पत्रावली आदेशिका दिनांक 20.12.2021 के जरिये श्रीमान न्यायालय को सुनवाई हेतु स्थानान्तरित की गयी।

यह कि,श्रीमान न्यायालय को स्थानान्तरित पत्रावली प्राप्त होने पर न्यायालय द्वारा नये सिरे से दिनांक 26.12.2022 को दर्ज कर राजस्व अपील संख्या 06/2022 को दर्ज कर राजस्व अपील संख्या 06/2022 जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/02 तीजो वगैरा बनाम राधा वगैरा में पक्षकारान/वकुलाय को सूचित करने हेतु दिनांक 26.12.2022 को आदेशिका लिखी गयी परन्तु पूर्व से पत्रावली में दिनांक 01.12.2022 को प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 के आवेदक व आवेदक के अधिवक्ता को श्रीमान न्यायालय द्वारा आदिवस तक नोटिस जारी नहीं कर एवं उक्त बाबत अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंण्ट्स ने भी प्रार्थी को न्यायालय से तलब नही करवा कर न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर दुरभिःसंधि के तहत श्रीमान् न्यायालय को अन्धेरे में रखकर छल कपट के जरिये प्रार्थी की अनुपस्थिति में दिनांक 24.05.2024 को प्रार्थी का आवेदन खारिज करवा कर उक्त अपील दिनांक 14.06.2024 को प्रार्थी की अनुपस्थिति में निर्णित की जाकर अपील स्वीकार की गयी है। जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता पत्रावली प्राप्त कर उपरोक्त उल्लेखित भूमि के खरीददार, खातेदार, हितबद्ध व्यक्ति प्रार्थी की अनुपस्थिति में अपील संख्या 06/2022 में पारित आदेशिका दिनांक 24.05.2021 एवं पारित निर्णय दिनांक 14.06.2024 से व्यथित पक्षकार जोगाराम द्वारा उक्त याचिका अन्तर्गत धारा 65 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश कर न्यायालय हाजा में लम्बित रही राजस्व अपील संख्या 06/2022 जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/2 तीजो वगैरा बनाम राधा वगैरा निर्णय दिनांक 14.06.2024 की पत्रावली तलब कर अपील में पारित आदेश दिनांक 24.05.2024 एवं निर्णय दिनांक 14.06.2024 को अपास्त कर, प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देकर प्रार्थी के आवेदन आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. को विधि अनुसार निस्तारित किये जाने के बाद अपील को गुणावगुण पर सुने जाने बाबत् पेश किया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस सूचित किया गया। अप्रार्थी संख्या 04 एवं 05 द्वारा निर्धारित समयावधि में जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण उनका जवाब बन्द किया जाता है।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 01 (प्राकृतिक संरक्षक अप्रार्थी संख्या 02 एवं 03) की ओर से अधिवक्ता ने प्रकरण की पोषणीयता बाबत् निम्नानुसार प्रारम्भिक आपत्ति पेश कीः–

1. स्वीकृत स्थिति है कि प्रार्थी जोगाराम मूल अपील संख्या 06/2022 निर्णित दिनांक 14.06.2022 में अपीलाण्ट अथवा रेस्पोडेण्ट के रुप में पक्षकार नहीं था। प्रार्थी जोगाराम ने उक्त अपील मे बतौर रेस्पोडेण्ट बनाये जाने हेतु आवेदन आदेश 1 नियम 10

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 422 / 2024

उनवान : प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 65 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 सपठित आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

सी0पी0सी0 को पेश किया था जो आदेश दिनांक 21.05.2024 द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था।

2. प्रार्थी ने उक्त आवेदन धारा 65 राज. भू–राजस्व अधि. व आ. 9 नि.13 सी0पी0सी0 के तहत पेश कर मूल अपील में पारित निर्णय दिनांक 14.06.2024 व आदेश दिनांक 24.05.2024 को निरस्त करने का अनुतोष चाहा है।
3. धारा 65(1) राज. भू–राजस्व अधि. अनुसार जिन प्रकरणों में मेरिट पर निर्णय पारित किया गया है, के अलावा धारा 63 में पारित आदेशा की अपील नहीं होगी तथा धारा 65(2) राज. भू–राजस्व अधि. अनुसार उक्त आदेश जो मेरिट पर पारित नहीं किया गया है, के सबंध में उक्त प्रकरण का पक्षकार 30 दिन में आवेदन दे सकता है। यह स्वीकृत स्थिति है कि प्रार्थी जोगाराम उक्त मूल अपील में "Party" पक्षकार नही था। उक्त धारा में "Party" शब्द का प्रयोग किया गया है, न कि "Person" अर्थात व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी तरह धारा 63 राज. भू राजस्व अधि. में भी "Party to a case of proceeding" शब्दावली का उपयोग हुआ है जिसका सीधा सा अर्थ है कि उस प्रकरण की कार्यवाही में पक्षकार के रुप में संयोजित होना आज्ञापक है। इसी तरह से प्रार्थी का आवेदन धारा 65 राज. भू–राजस्व अधि. किसी भी रुप से पोषणीय नहीं है क्योकि उपरोक्त प्रार्थी जोगाराम मूल अपील मे न तो "Party" अर्थात पक्षकार के रुप में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट है एवं न ही "Party to a case of proceeding" है।
4. प्रार्थी ने आवेदन को धारा 65 राज. भू–राजस्व अधि. एवं आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 में संयुक्त रुप से पेश किया है। आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 का आवेदन केवल प्रतिवादी रेस्पोडेण्ट ही पेश कर सकता है। स्वीकृत रुप से प्रार्थी जोगाराम प्रतिवादी/रेस्पोडेण्ट नही है इसलिए भी उक्त आवेदन आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 मे पोषणीय नही है।

प्रकरण में अधिवक्ता उभयपक्ष की धारा 05 परिसीमा अधिनियम पर बहस सुनी गई। न्यायालय का यह विनम्र अभिमत है कि परिसीमा जैसे तकनीकी बिन्दु पर प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना उचित नहीं है, बल्कि प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णीत किया जाना हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद शुमार किया जाता है।

बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मूल अपील विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 1176 न्यायालय हाजा को स्थानान्तरित होने से पूर्व प्रार्थी द्वारा उक्त अपील में पक्षकार (Party) संयोजित होने के लिए एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 (सि.प्र.सं.) दिनांक 01.12.2022 को प्रस्तुत कर दिया गया था। तदुपरान्त उपरोक्त अपील दिनांक 20.12.2022 को न्यायालय हाजा को स्थानान्तरित हो गई। स्थानान्तरण उपरान्त न्यायालय हाजा में उक्त अपील पुनः दर्ज होने के बाद प्रार्थी को न्यायालय से सुनवाई का अवसर दिए बिना दिनांक 24.05.2024 को प्रार्थी की अनुपस्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र (आ.01नि.10) को खारिज कर दिया गया तथा दिनांक 14.06.2024 को उक्त अपील को अन्तिम रुप से निर्णित कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 65 (राज. भू–राजस्व अधि.) आदेश 09 नियम 13 तथा धारा 151 सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया गया है ताकि उक्त एकपक्षीय निर्णय दिनांक 14.06.2024 को अपास्त किया जाने तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र आ.01 नियम 10 को निर्णित कर मेरिट पर अपील का निस्तारण किया जाए। काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित नजीरे प्रस्तुत की :–

1. Vishnuprakash & Ors. Vs. Smt. Dakhi Bai & Ors. 2018(2) RRT 1355

अति. जिला कलक्टर (... पाली)

Scanned with OKEN Scanner

2. Shambhu Dayal & Others Vs. Sahdev & Others RRT 2001(2)1205
3. Asha Ram Vs. Pushkarna Brahmin, Bhimji ka Mohala & Anr. 2024(2) RJT(Civil) 871

अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने प्रार्थीपक्ष के तर्कों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि सि.प्र.सं. के आदेश 09 नियम 13 में 'प्रतिवादी' शब्द अंकित है अर्थात् निर्णीत वाद। प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी (पक्षकार) के रुप में संयोजित व्यक्ति ही उक्त आ.09 नि.13 के अन्तर्गत एकपक्षीय निर्णय को अपास्त करने हेतु राहत पाने का हकदार है, जबकि प्रार्थी को न्यायालय हाजा द्वारा पक्षकार संयोजित नहीं किया गया था, एवं प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 (सि.प्र.स.) दिनांक 24.05.2024 को खारिज कर दिया गया था। इसी प्रकार, काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने यह इंगित किया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 63 (सपठित धारा 65) में भी "Party" शब्द है, जो कि आज्ञापक है, जबकि प्रार्थी को पक्षकार "Party" संयोजित करने का प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा द्वारा खारिज कर दिया गया था। अतः प्रार्थी की यह मांग सरासर बेबुनियाद तथा अवैधानिक है कि मूल अपील में पारित निर्णय दिनांक 14.06.2024 'एकपक्षीय' रुप से पारित होने के कारण अपास्त किया जाए।

विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस में उठाए गए तर्कों पर मनन एवं विश्लेषण किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों मूल अपील में पारित निर्णय दिनांक 14.06.2024 तथा आदेशिका दिनांक 24.05.2024 का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष मूल विचाराणीय प्रश्न यह है कि **मूल अपील 06/2022 में पारित निर्णय दिनांक 14.06.2024 'एकपक्षीय रुप से पारित निर्णय' था अथवा नहीं।**

सम्पूर्ण तथ्यों के विश्लेषण तथा अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों के ससम्मान अवलोकन उपरान्त न्यायालय का यह विनम्र अभिमत है कि :–

1. यह निर्विवाद तथ्य है कि मूल अपील में प्रार्थी ने पक्षकार संयोजित करने के लिए एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आ.01 नि.10 (सि.प्र.स.) प्रस्तुत किया था, जो निर्णीत होने से पूर्व ही उक्त अपील न्यायालय हाजा को दिनांक 20.12.2022 स्थानान्तरित कर दी गई। न्यायालय हाजा में उक्त अपील दर्ज कर पक्षकारों के रुप में संयोजित अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट को नोटिस जारी किए गए। चूंकि प्रार्थी तब तक पक्षकार के रुप में संयाजित नहीं हुआ था, अतः प्रार्थी को सम्मन जारी नहीं हुए तथा अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस सुनकर दिनांक 24.05.2024 को प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 खारिज किया गया। तदुपरांत दिनांक 14.06.2024 को मूल अपील अपीलाण्ट के पक्ष में निर्णीत की गई। सर्वप्रथम, तो यह प्रार्थी के पूर्व अधिवक्ता का दायित्व था कि अपील के पूर्व न्यायालय से न्यायालय हाजा में स्थानान्तरण की सूचना अपने मुवक्किल अर्थात् प्रार्थी को देते। किसी अनिर्णीत अन्तर्वर्ती प्रार्थना पत्र के संबंध में न्यायालय से यह अपेक्षित नहीं है कि वह प्रार्थी को सुनवाई तारीख हेतु सूचित करे। अपितु यह प्रार्थी का दायित्व है कि सुनवाई तिथि स्थान इत्यादि प्रासंगिक सूचनाओं की जानकारी रखते हुए उचित पैरवी एवं प्रतिरक्षण हेतु नियमित रुप से न्यायालय में उपस्थित रहें।
2. सि.प्र.स. के आदेश 09 नियम 13 में 'Defendant' (प्रतिवादी) शब्द अंकित है, जो कि आज्ञापक है, जबकि प्रार्थी मूल अपील में निर्णय दिनांक 14.06.2024 को Defendant (प्रतिवादी/अप्रार्थी) के रुप में संयोजित नहीं था अर्थात् उक्त निर्णय दिनांक 14.06.2024 को 'एकपक्षीय निर्णय' (Ex Party Order) बताकर उसको

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

अपास्त करने हेतु प्रार्थी सि.प्र.सं. के आदेश 09 नियम 13 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का वैधानिक अधिकारी नहीं है।

3. इसी प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 63 (सपठित धारा 65) में भी "Party" यानि 'पक्षकार' शब्द आज्ञापक है, जबकि आलोच्य निर्णय दिनांक 14.06.2024 से पूर्व ही दिनांक 24.05.2024 को प्रार्थी द्वारा पक्षकार (Party) संयोजित होने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा द्वारा खारिज कर दिया गया था। प्रार्थी ने हस्तगत प्रार्थना पत्र उक्त अधिनियम की धारा 65(2) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है, **किन्तु धारा 65(1) स्पष्ट रुप से उपबन्धित करती है कि धारा 63 के अन्तर्गत पारित निर्णय के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकेगी, सिवाय इस अपवाद के कि राजस्व न्यायालय द्वारा कोई निर्णय मेरिट पर अर्थात गुणावगुण के आधार पर पारित किया गया हो।** मूल अपील 06 / 2022 में पारित निर्णय दिनांक 14.06.2024 के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट होता है कि उक्त निर्णय विस्तृत रुप से विरचित तथा गुणावगुण अर्थात मेरिट के आधार पर निर्णीत है। उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रार्थी को सक्षम अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी।

4. प्रार्थी ने हस्तगत प्रार्थना पत्र में सि.प्र.सं. की धारा 151 भी संयोजित कर न्यायालय हाजा के पूर्व निर्णय दिनांक 14.06.2024 को पुनर्विलोकन कर अपास्त करने का निवेदन किया है इस संबंध में **माननीय उच्च न्यायालय** द्वारा **" नैनाराम के कायम मुकाम व अन्य बनाम राजस्व मण्डल"** (2022(1) RRT 7) में दिया गया निर्णय हस्तगत प्रकरण में समुचित रुप से चस्पा होता है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट रुप से उपबंधित किया गया कि **सि.प्र.स. की धारा 151 एवं 152 के अन्तर्गत केवल लिपिकीय अथवा गणितीय त्रुटियों को ही शुद्ध किया जा सकता है।** अतः प्रार्थी द्वारा सि.प्र.स. की धारा 151 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निर्णय दिनांक 14.06.2024 को अपास्त करने की मांग परिपोषणीय नहीं है।

5. हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त प्रार्थी पक्ष द्वारा इसी मजमून एवं इसी आराजी के संबंध में एक नामान्तरकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 (राज. भू–राजस्व अधि.) न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण संख्या 100 / 2024 दिनांक 08.09.2024 दर्ज होकर विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वतः ही अप्रभावी हो गया है।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनाप्रत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 (सि.प्र.सं.) सपठित धारा 151 एवं धारा 65 (राज. भू–राजस्व अधिनियम) सारहीन होने से मय् स्थगन आदेश (प्रकरण संख्या : 423 / 2024) खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

Scanned with OKEN Scanner